



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 667/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान-मैसर्स पेपिस्को इण्डिया होल्डिंग्स, लि., एफ-549, वी.के.आई.एरिया, रोड नं. 6, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2014	<p style="text-align: center;"><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b> <b>श्री अमर सिंह, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 34 तहत निर्धारण वर्ष 2009-10, के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 09.12.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से ₹4,47,01,843/- के विरुद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, कमशः ₹2,47,01,842/- की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अरिवन्द खण्डेलवाल एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद बहस हेतु दिनांक 29.04.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के ही प्रकरण में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या-2059/07, 2181/07, 2182/07 एवं 2183/07/जयपुर निर्णय दिनांक 16.05.2008 के द्वारा उक्त विवादित बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें जो निर्धारण वर्ष 2006-07 से संबंधित थी को अस्वीकार किया गया है। अतः उक्त पारित निर्णय दिनांक 16.05.2008 के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               (अमर सिंह)              सदस्य         </p> <p style="text-align: right;">               5.5.2014              (मदन लाल)              सदस्य         </p>	